



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224715
CG-DL-E-27012021-224715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]
No. 340]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 372(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजनार्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 05 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3216 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः:-

1. उक्त अधिसूचना में अंतिम रूप से निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

I. "गैर-सरकारी जोनल सदस्य

[उक्त अधिनियम की धारा ए की उप धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत]

1.	केंद्रीय जोन	श्री जयप्रकाश गुप्ता, "विनायक श्री" 30/1068, रायगढ़ बड़ा, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़	अंशकालिक
2.	पूर्व जोन	श्री मनोज कुमार सिंह, एच 5/26, के रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड-831001	अंशकालिक
3.	पूर्वोत्तर जोन	श्री द्यू टामो, गांव-रेरू, पीओ/पीएस, जीरो, जिला-लोअर सुबनसिर, अरुणाचल प्रदेश	अंशकालिक

4.	उत्तर ज़ोन	श्री बसंत, सी/ओ श्री अजित कुमार सिंह, एम् 224, गली न. 6, सोम बाजार रोड, राजापुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059	अंशकालिक
5.	दक्षिण ज़ोन	श्री शेखर राव पेराला, म.न.-11-14-262, डी-ब्लॉक-104 मंजीरा हार्ट्स फेस-II, चित्रा लेआउट, बिसाइड् आरआर जिला कोर्ट एलबी नगर, हैदराबाद-500074, तेलंगाना	अंशकालिक

II. गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य

[उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत]

अध्ययन विषय

1.	डॉ. शिरीष केदारे, बी-1204, मातोश्री पीआर्ट, 232, सीताराम कीर मार्ग, काकड़ इंडस्ट्रीयल एस्टेट के नजदीक माहिम, मुम्बई-400016	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	अंशकालिक
2.	डॉ. डी.आर. पेशवे, निदेशक, विश्वेश्वरया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर-400010	तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण	अंशकालिक

2. उपर्युक्त सदस्य/ विशेषज्ञ सदस्य दिनांक 04 सितंबर, 2022 को समाप्त अवधि के लिए अथवा आयोग के सदस्य के रूप में बने रहने तक पद धारित करेंगे।”

[फा. सं. ए-43013/2/2019-केवीआई-(II) (भाग-1)]

सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-II खंड 3, उप खंड (ii) में, संख्या का.आ. 3216(अ), द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 372(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby appoints the following persons as the Members of the Khadi and Village Industries Commission, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 3216 (E), dated the 05th September, 2019 namely:-

1. In the said notification, the following serial number and entries shall be inserted at the end, namely: -

“I. Non-official Zonal Members:

[Under clause(a) of sub-section(2) of section 4 of the said Act]

- | | | | |
|----|--------------|--|-----------|
| 1. | Central Zone | Shri Jaiprakash Gupta, “Vinayak Shree”, 30/1068, Raigarh Bada, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh | Part-time |
| 2. | East Zone | Shri Manoj Kumar Singh, H 5/26, K Road, Bishtupur, Jamshedpur, Jharkhand – 831001 | Part-time |

3.	North East Zone	Shri Duyu Tamo, Village Reru, PO/PS, Ziro, District Lower Subansir, Arunachal Pradesh	Part-time
4.	North Zone	Shri Basant, C/o Shri Ajit Kumar Singh, M 224, Gali No. 6, Som Bazar Road, Rajapuri, Uttam Nagar, New Delhi - 110059	Part-time
5.	South Zone	Shri Shekhar Rao Perala, H. No. 11-14-262, D Block -104 Manjeera Heights Phase II, Chitra Layout, Beside RR District Court L.B. Nagar, Hyderabad-500074, Telangana.	Part-time

II. Non-official Expert Members:

[Under clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the said Act]

Discipline

1.	Dr. Shirish Kedare, B-1204, Matoshree's Peart, 232, Sitaram Keer Marg, Near Kakad Industrial Estate, Mahim, Mumbai-400016.	Science and Technology	Part-time
2.	Dr. D. R. Peshave, Director, Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur – 400010.	Technical Education and Training	Part-time

2. The above mentioned members/expert members shall hold office for a period ending on the 04th September, 2022 or till they cease to be member of the Commission”.

[F. No. A-43013/2/2019-KVI-(II) (Part-1)]

SUDHIR GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3216(E), dated the 5th September, 2019.